बीस रुपये TWENTY RUPEES दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक 4694 / निग. / छतरपुर / भू.रा. / 2017 / 3586

हजारी लाल कुशवाह,

1. हजारीलाल
2. चन्द्रभान कुशवाह,
3. छक्की कुशवाह पुत्रगण स्व.श्री ग्यासी कुशवाह, निवासीगण ग्राम ईमिलिया, तहसील नौगांव, जिला छतरपुर (म0प्र0)

— आवेदक

बनाम

1. प्रदिया उर्फ प्यारेलाल
2. मातादीन पुत्रगण स्व. श्री नथुवा अहिरवार, निवासीगण ग्राम ईमिलिया, तहसील नौगांव, जिला छतरपुर (म0प्र0) — अनावेदकगण

28/09/17

F-4-10-17

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र0 भू—राजस्व संहिता, 1959 के विरूद्ध आदेश दिनांक 08.08.2017 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, नौगांव, जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 131 / अपील / 2015—16 से दुखितः होकर।

श्रीमान जी,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः—

1— यहकि, आवेदकगण के पिता स्व0 श्री ग्यासी कुशवाह द्वारा एक अपील क्रमांक 72 / अपील / अ—19(4) 09—10 उनमान ग्यासी कुशवाह बनाम पदिया के नाम से न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी नौगांव, जिला छतरपुर के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जिसमें वादग्रस्त शासकीय भूमि पर अनावेदकगण के पिता नथुआ अहिरवार द्वारा दिनांक 03.11.1990 का फर्जी पट्टा प्राप्त करने के विरूद्ध अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, जोकि न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी नौगांव, जिला छतरपुर द्वारा स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार नौगांव का जॉच हेतु भेजा गया, जिसमें तहसीलदार नौगांव द्वारा उक्त पट्टे दिनांक 03.11.1990 की विधित जॉच कर उभयपक्षों को सूचना एवं सुनवाई का अवसर देकर रिकॉर्ड ना पाये जाने से उक्त पट्टा प्रकरण क्रमांक 112 / बी—121 / 2015—16 द्वारा दिनांक 30.11.2015 में निरस्त कर दिया गया है।

2— यहकि, उक्त आदेश दिनांक 30.11.2015 के विरूद्ध अनावेदकगण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी नौगांव, जिला छतरपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी, जिसमें पूर्व के सभी तथ्यों व जॉचों को दर किनारे करते हुए अनावेदकगण की अपील स्वीकार की गयी, जिससे

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- एक/निग./छतरपुर/भू.रा./2017/3586

हजारीलाल आदि विरूद्ध पदिया उर्फ प्यारेलाल आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
09-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री बी.एस. धाकड़ उपस्थित। आवेदक अभिभाषक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी नौगांव, जिला- छतरपुर के प्रकरण क्रमांक- 131/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 08-08-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 28-09-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवतत होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उनहें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर	

के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 27-02-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेजा जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जायें ।

(आर.के. जैन) 09/01/19
सदस्य